FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

गोपाल पिता बालू जाट
निवासी– शिवपुरा

बनाम कल्याण पिता बालू जाट
निवासी– शिवपुरा

किस्म मुकदमा– वाद पत्र अन्तर्गत धारा – 53, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

प्रकरण संख्या– 225/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2018	बाद जॉच वाद पत्र प्रस्तुत हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जावें विपक्षी को जरियें सम्मन तलब किया जाकर मिलस दिनांक 29.06.2018 को अटल सेवा केन्द्र वृत केम्प गुलाबपुरा में पेश करें । सहायक कलक्टर (SDO) गुलाबपुरा	
29.06.2018	प्रत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । प्रतिवादी संख्या–1 अनुपस्थित । वकील वादी के द्वारा कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है , आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है , जिसमें वादी नम्बर – 1 का 1/3, वादी नम्बर – 2 का 1/3 प्रतिवादी संख्या– 1 का 1/3 हक हिस्सा निहित है , और इसी हक हिस्से के अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है । आराजीयात संयुक्त कब्जेकाश्त की होने से फसल काश्त करनें , फसल काटनें व लगान जमा करानें , आराजीयात की तरक्की करनें में काफी परेशानी रहती है इसलिये वादीगण माफिक हक हिस्सा व कब्जेनुसार का विभाजन करवाना चाहते है । प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा वादी के वाद का कोई जवाब अथवा काउण्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया । और ना ही वह न्यायालय में उपस्थित हुये । मैंने वकील वादी को सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्नानुसार रहा है । वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 मौजा शिवपुरा , गोपालपुरा पटवार हल्का टोंकरवाड तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नं.– 440, 441, 2105, 2107, 2114, 2115, 2118, 2119, किता 8 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा तथा मौजा टोंकरवाड की आराजी नं.– 153, 1570, किता 2 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा भूमि गोपाल , मिश्री , कल्याण, पिता बालु जाट मजरा शिवपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । यहॉं वादीगण का कथन है कि आराजीयात संयुक्त कब्जेकाश्त की होने से फसल काश्त करने व लगान आदि जमा करानें तथा जमीन को तरक्की देनें में काफी परेशानी होती है इसलिये माफिक हक हिस्से व कब्जेनुसार भूमि का विभाजन करवाना चाहा है । चूंकि वादीगण आराजी मुतदाविया के खातेदार काश्तकार है और खातेदार को अपनी भूमि का विभाजन करानें का पूर्ण विधिक अधिकार होने से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है ।	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

	2114	00 बीघा07 बिस्वा	0.60
	2115	00 बीघा15 बिस्वा	1.88
	2118	01 बीघा17 बिस्वा	10.33
	2119	00 बीघा10 बिस्वा	0.85
कुल किता 8		10 बीघा 04 बिस्वा	28.50

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया । उपस्थित वकील वादी के द्वारा तहसीलदार हुरडा से उक्त प्राप्तुसदा विभाजन प्रस्ताव को सही होकर स्वीकार किया जाना जाहिर किया है ।

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिकी पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । तदनुसार अन्तिम डिकी पर्चा तैयार किया जावें पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को खुली लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

::–निर्णय::–

दावा वादी प्राथमिक डिकी किया जाकर मौजा शिवपुरा, गोपालपुरा पटवार हल्का टोंकरवाड तहसील हुरडा की आराजी नं.– .– 440, 441, 2105, 2107, 2114, 2115, 2118, 2119, किता 8 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा तथा मौजा टोंकरवाड की आराजी नं.– 153, 1570, किता 2 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा भूमि के खातेदान काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से व कब्जेनुसार भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज 29.06.2018 को खुली लोक अदालत में सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

29.06.2018

तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र कमांक राजस्व/ 2018 /10 दिनांक 29.06.2018 से प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1– कल्याण पिता बालु जाट साकिन शिवपुरा के हिस्से में , रहन एस.बी.आई. शाखा हुरडा :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
टोंकरवाड	1570	05 बीघा 13 बिस्वा	3.39
कुल किता 1		05 बीघा 13 बिस्वा	3.39

2– गोपाल, मिश्री पिता बालु जाट निवासी शिवपुरा के हिस्से में रहन बी0ओ0बी0 रुपाहेली :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
टोंकरवाड	1053	01 बीघा 03 बिस्वा	5.29
कुल किता 1		01 बीघा 03 बिस्वा	5.29

3– गोपाल, मिश्री पिता बालु जाट निवासी शिवपुरा के हिस्से में रहन बी0ओ0बी0 रुपाहेली :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
शिवपुरा , गोपालपुरा	440	02 बीघा 15 बिस्वा	6.88
	441	03 बीघा05 बिस्वा	3.08
	2105	00 बीघा05 बिस्वा	1.75
	2107	00 बीघा10 बिस्वा	3.15

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner